AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

मानवाधिकार शिक्षा की आवश्यकता

ORIGINAL ARTICLE

Author
डॉ. ईश्वरी खटवानी
मानव विकास विभाग
एस.एस. गर्ल्स कॉलेज
गोंदिया, महाराष्ट्र, भारत

शोध सार

जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अन्य सभी मनुष्यों के साथ उचित सहयोग करके अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है इसलिए, उसके अधिकार उसकी स्व–शासित इच्छाओं के साथ बिल्कुल सहवर्ती नहीं हैं, लेकिन केवल तभी तक मौजूद रह सकते हैं जब तक वे समुदाय के अधिकारों से नहीं टकराते हैं, इसलिए, अधिकार इंगित करते हैं कि कर्तव्य व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित नहीं करते हैं। समुदाय, और केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है। दूसरे शब्दों में, कर्तव्य को किसी व्यक्ति के प्रति समुदाय का 'अधिकार' भी माना जा सकता है। कई सभ्यताओं/समाजों ने समुदाय के सदस्यों के अधिकारों को निर्धारित करके और कर्तव्यों के संदर्भ में किसी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार के नियमों को तैयार करके सामाजिक व्यवस्था और सद्भाव लाने और बढ़ावा देने की मांग की है। लेकिन, वर्तमान में आधुनिक राज्य व्यवस्था के विकास ने लगभग हर जगह मनुष्य के रूप में हमारे जीवन को बदल दिया है इसलिए कर्तव्यों पर जोर देकर स्व–अधिकारों की प्राप्ति का दृष्टिकोण अनुत्पादक साबित हो सकता है। बेकार प्रकार की शिक्षा के लिए शिक्षा के प्रति मानवाधिकार–आधारित दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता होती है जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा के माध्यम से दोनों मानवाधिकारों को बढ़ावा मिलता है। यह सुनिश्चित होता है कि शिक्षा की सभी प्रक्रियाएं और घटक – सामग्री विधियों, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण सहित – मानव अधिकारों और मानव की शिक्षा के लिए अनुकूल हैं। शिक्षा में अधिकार यह सुनिश्चित करना कि स्कूल, समुदाय के सभी सदस्यों के मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए और शिक्षा के भीतर उनका पालन किया जाए।

मुख्य शब्द

सामाज, कर्तव्य, मानव, अधिकार, शिक्षा.

प्रस्तावना

मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए हैं– फिर वो पुरुष हो या महिला, बालक हो या बालिका, शिशु हो या बुजुर्ग, अर्थात् वे सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक इंसान है। मानवाधिकार उन मौलिक मानकों को अपनाते हैं जिनके बिना लोग अपनी अंतर्निहित मानवीय गरिमा का एहसास नहीं कर सकते।

मानवाधिकार अविभाज्य हैं, कोई इन अधिकारों को तब तक नहीं खो सकते जब तक वह एक इंसान नहीं रह जाता। मानवाधिकार अविभाज्य हैं, एक व्यक्ति को किसी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई यह

निर्णय नहीं ले सकता कि यह 'कम महत्वपूर्ण' या 'अनावश्यक' है। मानवाधिकार एक दूसरे पर निर्भर हैं, सभी मानवाधिकार एक पूरक ढांचे का हिस्सा हैं।

मानव अधिकार किसी राजा,सरकार, या धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक प्राधिकरण जैसे किसी भी मानव प्राधिकरण द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं, वे अमेरिकी संविधान और बिल ऑफ राइट्स जैसे नागरिक अधिकारों के समान नहीं हैं। संवैधानिक अधिकार व्यक्तियों को उनकी नागरिकता या किसी विशेष देश में निवास के आधार पर दिए जाते हैं जबकि मानवाधिकार मानव व्यक्तित्व के गुणों के रूप में अंतर्निहित और धारण किए जाते हैं।

मानवाधिकार अमूर्त और व्यावहारिक दोनों हैं। वे एक स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया की प्रेरक दृष्टि रखते हैं और व्यक्तियों और संस्थानों दोनों को लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं। वे लोगों को अपने अधिकारों और दूसरों के अधिकारों की मांग करने और उनकी रक्षा करने के लिए कार्रवाई करने के लिए भी सशक्त बनाते हैं।

हालाँकि मानवाधिकारों को मुख्य रूप से बीसवीं सदी में परिभाषित और संहिताबद्ध किया गया था, मानवाधिकार मूल्य लगभग हर संस्कृति के ज्ञान साहित्य, पारंपरिक मूल्यों और धार्मिक शिक्षाओं में निहित हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू वेद, बेबीलोनियाई हम्मुराबी संहिता, बाइबिल, कुरान, और कन्फ्यूशियस के विश्लेषक सभी लोगों के कर्तव्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रश्नों को संबोधित करते हैं। मूल अमेरिकी स्रोतों में इंका और एज़्टेक आचार संहिता और न्याय और इरोक्वाइस संविधान शामिल हैं।

मानवाधिकार नैतिक सिद्धांत या मानदंड हैं जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों का वर्णन करते हैं, जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्राकृतिक एवं कानूनी अधिकारों के रूप में नियमित रूप से संरक्षित हैं जिसे सामान्यतः अपरिहार्य, मौलिक अधिकारों के रूप में जाना जाता है "जिसका एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से हकदार है, क्योंकि वह एक इंसान है" और जो "सभी मनुष्यों में निहित हैं", चाहे उनकी उम्र,जातीय मूल स्थान, भाषा कुछ भी हो धर्म,जातीयता, या कोई अन्य स्थिति। वे सार्वभौमिक होने के अर्थ में हर जगह और हर समय लागू होते हैं, और वे सभी के लिए समान होने के अर्थ में समतावादी हैं। उन्हें सहानुभूति और कानून के शासन की आवश्यकता के रूप में माना जाता है और व्यक्तियों पर दूसरों के मानवाधिकारों का सम्मान करने का दायित्व लगाया जाता है,और आम तौर पर यह माना जाता है कि विशिष्ट परिस्थितियों पर आधारित उचित प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उन्हें हटाया नहीं जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, मानवाधिकारों में गैरकानूनी कारावास, यातना और फांसी से मुक्ति शामिल हो सकती है।

मानवाधिकार का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय कानून और वैश्विक और क्षेत्रीय संस्थानों में अत्यधिक प्रभावशाली रहा है। राज्यों और गैर–सरकारी संगठनों की कार्रवाइयां दुनिया भर में सार्वजनिक नीति का आधार बनती हैं। मानवाधिकारों के विचार से पता चलता है कि 'यदि शांतिकाल के वैश्विक समाज के सार्वजनिक प्रवचन को एक सामान्य नैतिक भाषा कहा जा सकता है,तो वह मानवाधिकारों की भाषा है।' मानव अधिकारों के सिद्धांत द्वारा किए गए मजबूत दावे आज भी मानव अधिकारों की सामग्री,प्रकृति और औचित्य के बारे में काफी संदेह और बहस को उकसाते हैं। अधिकार शब्द का सटीक अर्थ विवादास्पद है और निरंतर दार्शनिक बहस का विषय है; जबकि इस बात पर आम सहमति है कि मानवाधिकार में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, दासता के खिलाफ सुरक्षा, नरसंहार पर रोक, स्वतंत्र भाषण या शिक्षा का अधिकार जैसे कई प्रकार के अधिकार शामिल हैं। इस बात पर असहमति है कि इनमें से किस विशेष अधिकार को शामिल किया जाना चाहिए मानवाधिकारों के सामान्य ढांचे के भीतर; कुछ विचारकों का सुझाव है कि सबसे खराब स्थिति के दुरुपयोग से बचने के लिए मानवाधिकार एक न्यूनतम आवश्यकता होनी चाहिए, जबकि अन्य इसे उच्च मानक के रूप में देखते हैं।

मानवाधिकार आंदोलन को जीवंत बनाने वाले कई बुनियादी विचार द्वितीय विश्व युद्ध और नरसंहार की घटनाओं के पश्चात् विकसित हुए, जिनकी परिणति 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पेरिस में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के रूप में हुई। प्राचीन काल मं लोगो के पास सार्वभौमिक मानवाधिकारों की आधुनिक

अवधारणा नहीं थी। मानवाधिकार प्रसारण का सच्चा अग्रदूत प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा थी जो मध्ययुगीन प्राकृतिक कानून परंपरा के हिस्से के रूप में सामने आई थी। जिसे जॉन लोके, फ्रांसिस हचिसन और जीनजैक्स बर्लामाक्वी जैसे दार्शनिकों के साथ यूरोपीय ज्ञानोदय के दौरान प्रमुखता प्राप्त हुयी थी एवं जो राजनीतिक प्रवचन में प्रमुखता से प्रदर्शित हुई थी। 20 वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात् इस आधार पर, आधुनिक मानवाधिकार तर्क उभ कर सामने आये।

मानव अधिकारों में और उनके लिए शिक्षा की अवधारणा मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा (कलम 26), आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संधि (कलम 13), अधिकारों के सम्मेलन सहित कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों में दिखाई देती है। बालकों की (कलम 29) और हाल ही में, वियना घोषणा और कार्रवाई का कार्यक्रम (धारा डी, पैरा 78–82)। संयुक्त राष्ट्र ने 1994–2004 के दौरान मानवाधिकार शिक्षा दशक की भी घोषणा की गयी। मानवाधिकार शिक्षा को एक प्रशिक्षण, प्रसार और सूचना प्रयासों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य ज्ञान और कौशल प्रदान करने और दृष्टिकोण को ढालने के माध्यम से मानवाधिकारों की एक सार्वभौमिक संस्कृति का निर्माण करना और मानवाधिकारों व मौलिक स्वतंत्रता हेतु सम्मान को मजबूत करना है; मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और उसकी गरिमा की भावना; सभी देशों,स्वदेशी लोगों और नस्लीय,राष्ट्रीय,जातीय,धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच सहिष्णुता,लैंगिक समानता और मित्रता को बढ़ावा देना; सभी व्यक्तियों को एक स्वतंत्र समाज में प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम बनाना एवं शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों को आगे बढ़ाना हैं ।

मानव अधिकार शिक्षा की आवश्यकता से तात्पर्य यह है कि,दुर्बल लोगो को उनके अधिकारों के विषय में सूचित किया जाना चाहिए ताकि वे स्वयं उनकी रक्षा करना सीख सकें,साथ ही सबल लोगों को इन अधिकारों के विषय में सूचित किया जा सके ताकि वे सीख सकें कि उनका सम्मान कैसे किया जाए। मानवाधिकारों की शिक्षा की आवश्यकता पर अब लोगो का रुझान बढ़ रहा हैं जिससे यह मानवाधिकारों के उल्लंघन को कम करने एवं स्वतंत्र, न्यायपूर्ण व शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में यह शिक्षा योगदान दे सकती है।

मानवाधिकार शिक्षा का उद्देश्य मानव जातिके प्रति सहिष्णुता, सम्मान एवं सद्भावना के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों आयामों में मानवाधिकारों का ज्ञान प्रदान करता है तथा उन तरीकों और साधनों के विषय में व्यक्ति की जागरूकता विकसित करता है जिनके द्वारा मानवाधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं व किन मानवाधिकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकता में अनुवादित किया जा सकता है। इस प्रकार की शिक्षा से व्यक्ति को न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, बल्कि साथ ही दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान पर भी जोर देना चाहिए।

मानवाधिकार शिक्षा के दायरे तथा सामग्री में शांति, लोकतंत्र, विकास और सामाजिक न्याय शामिल होना चाहिए, ताकि मानवाधिकारों के प्रति सार्वभौमिक प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दृष्टि से सामान्य समझ व जागरूकता विकसित की जा सके। मानवाधिकार शिक्षा केवल कक्षा में ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक बौद्धिक अभ्यास नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके लिए समाज में क्या होता है और कक्षाओं में क्या संचारित होता है, के मध्य संबंध बनाने की आवश्यकता होती है। इस हेतु क्षेत्रीय अनुभव और कार्य उन्मुख कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। मानवाधिकार पाठ्यक्रम में अत्यंत विस्तारित क्षेत्र के लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं हो सकता। मानवाधिकार पाठ्यक्रम विकास को ऐसे पाठ्यक्रम की सामग्री का निर्धारण करते समय बदलते वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए।

इच्छुक समूहों की आवश्यकताओं के आधार पर मानवाधिकार शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक व्यवस्था के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। औपचारिक शिक्षा विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य माध्यमिक शिक्षा संस्थानों में दी जानी चाहिए। वर्तमान औपचारिक शिक्षा प्रणाली प्राथमिक स्तर से शुरू करके मानवाधिकार शिक्षा के घटकों को जोड़ सकती है। इस स्तर पर मानवाधिकारों का शिक्षण छात्र के दैनिक अनुभवों

और जीवन स्थितियों से उत्पन्न होना चाहिए। इस हेतु एक गैर–परीक्षा–उन्मुख दृष्टिकोण मदद करेगा, क्योंकि यह लचीलेपन की अनुमति देता है और कृत्रिम प्रतिबंधों या औपचारिकताओं से बचता है। माध्यमिक स्तर पर,बच्चे अपने आस–पास असमानताओं और भेदभावों को देखना शुरू कर देते हैं।

उनके साथ समानता, समता, स्वतंत्रता, शिक्षा का विकल्प,सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों के विषयों पर चर्चा की जा सकती है। उच्च शिक्षा स्तर पर छात्र की आयु के अनुसार उसमे इतनी परिपक्वता विकसित हो जाती हैं कि वे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में बताए गए मानवाधिकारों,मानदंडों और मानकों की अवधारणा के अर्थ और विकास को आत्मसात कर सकें, और इसके संदर्भ में विशिष्ट मानवाधिकार मुद्दों पर गहराई से चर्चा कर सकें। लोगों के संघर्षों,आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर बल देने के साथ ठोस सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताएं आदि भी सिखायी जानी चाहिए। समुदाय के बड़े हिस्से के पास विद्यालय जाने की सुविधा नहीं थी, अतः उनके लिए अनौपचारिक मानव अधिकार प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में उपयोग में लायी जाने वाली पुस्तकों में मानवाधिकारों पर विषय शामिल किया जा सकता हैं। अनौपचारिक प्रौढ़ शिक्षा तकनीकों का उपयोग मानवाधिकारों पर जानकारी प्रदान करने के लिए किया जा सकता है; (जैसे) समूह चर्चा,विचार–मंथन,नुक्कड़ नाटक, रोल प्ले आदि। भारत में लगभग 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत लोग मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली के तहत उच्च शिक्षा का अध्ययन करते हैं। मानव अधिकार शिक्षा भी मुक्त विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल है। सभी अनुशासन का पालन करे तो फिर यह समाज के हर कोने तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है।

यदि प्रवर्तन अधिकारी अपना कार्य प्रभावी ढंग से करें तो लोगों के मानवाधिकारों की वास्तव में रक्षा की जा सकती है। पुलिस को मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील होना होगा। उन्हें उन व्यक्तियों की स्थिति का एहसास और सराहना करनी चाहिए जो अपने अधिकारों के उल्लंघन के सम्बन्ध में शिकायत करते हैं। ये प्रताड़ित महिलाएँ और दहेज उत्पीड़न की शिकार महिलाएँ या स्थानीय नेताओं के हाथों उत्पीड़न झेलने वाली महिलाएँ हो सकती हैं। जब तक पुलिस को मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर संवेदनशील नहीं बनाया जाता,वे वास्तव में कानून और जनता के रक्षक नहीं बन सकते। वकील,जिनका काम न्याय पाने के लिए न्यायाधीश के समक्ष मामले पर बहस करना है,उन्हें मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य के बारे में भी जागरूक होना चाहिए। उनमें सही और ग़लत की समझ को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। न्यायाधीश, निष्पक्षता और स्वतंत्रता जिनकी न्याय प्रणाली की रीढ़ हैं, उन्हें भी मानवाधिकार मुद्दों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील होना चाहिए।

प्रशासनिक कर्मचारियों और आई ए एस कैडर से संबंधित अधिकारियों सहित सरकारी अधिकारी,जो लड़कियों के लिए शैक्षिक सुविधाएं, बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास, वृद्ध और निराश्रित महिलाओं के लाभ के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आदि जैसी योजनाएं शुरू करने में विभिन्न मानवाधिकार मांगों को प्राथमिकता देते हैं और बनाते हैं। ऐसी योजनाओं के लिए बजट आवंटन को मानव अधिकार मानदंडों और दर्शन से अवगत कराया जाना चाहिए,ताकि वे स्वयं अपने नियंत्रण में लोगों के अधिकारों का उल्लंघन न करें। यह जेल अधिकारियों और रिमांड होम,अनाथालयों और निराश्रित घरों के अधिकारियों के मामलों में विशेष रूप से प्रासंगिक है। मानवाधिकार मानदंडों और लोगों के प्रति स्थानीय,राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक नेताओं को उनकी प्रतिबद्धता के विषय में जागरूक किया जाना चाहिए एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रक्षा की जानी चाहिए। कानून पारित करने व नीतियां बनाने वालों में ऐसी जागरूकता अवश्य होनी चाहिए।

निष्कर्ष

देश की विशाल जनसँख्या को ध्यान में रखते हुए,जनता को मानवाधिकारों के बारे में शिक्षित करने का कार्य वास्तव में कठिन हो जाता है। जनसंचार माध्यमों और विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसे काफी हद तक सुगम बनाया जा सकता है। मनोरंजन के माध्यम जैसे–टी. वी. से शिक्षा प्रदान करके लोगों के बड़े वर्ग तक पहुंचने का एक प्रभावी उपकरण हो सकता है। ऐसे में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता विकसित करने और लोगों को इनके प्रति संवेदनशील बनाने के चुनौतीपूर्ण कार्य को बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाकर सहयोगात्मक ढंग

से पूर्ण किया जा सकता हैं । मानवाधिकार शिक्षा की उपलब्धि से एक अधिक प्रबुद्ध समाज का निर्माण होगा, मानव गरिमा को समझना, एक बहु–सांस्कृतिक समाज में रहने से संबंधित मुद्दों में रुचि विकसित करने की जिज्ञासा, एक अन्योन्याश्रित दुनिया की सहायता करना, विभिन्न परंपराओं, संस्कृतियों और पहचानों की सराहना करना एवं साथ ही संघर्ष विकास को हल करने के लिए उचित न्यायसंगत प्रक्रियाओं को ध्यान में रखने को तैयार है। अंत में,मानवाधिकार शिक्षा के माध्यम से,समाज एक अधिक न्यायपूर्ण दुनिया के लिए तैयार होगा,तथा पूर्वाग्रह, असहिष्णुता, भेदभाव एवं क्रूरता जैसी घटनाओं को चुनौती देने के लिए तैयार होगा ।

सन्दर्भ सूची

1. दयाल, जे., और कौर, एस., (2015) पी.एस.ई.बी. और सी.बी.एस.ई. संबद्ध वि।लय में कार्यरत शिक्षकों के बीच मानवाधिकार जागरूकता पर एक तुलनात्मक अध्ययन। पैरिपेक्स–इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च 4(4),4–6।
2. घान, पी., (2020) घाना में ग्रामीण महिलाओं और शहरी महिलाओं के बीच अंतर को जानना। महिला अध्ययन का ओपन जर्नल 2(11), 26–31।
3. https://www.jetir.org/papers/JETIR1802259.pdf
4. http://hrlibrary.umn.edu/edumat/pdf/hreh.pdf
5. http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_2/pdf/1.pdf
6. https://nhrc.nic.in/sites/default/files/HREducation_Schools_India_02012019-min.pdf
7. https://www.hurights.or.jp/archives/other_publications/section1/pdf/Complete%20file%20for%20the%20publication.pdf

––==00==––